न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./112/2024/बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. किसनाराम पुत्र लालाराम 2. सुखराम पुत्र लालाराम 3. पालूदेवी पत्नी लालाराम 4. बुधराम पुत्र विरधाराम 5. ओमप्रकाश पुत्र झवताराम 6. दिनेश पुत्र झवताराम 7. जमना पत्नी झवताराम 8. गोरखाराम पुत्र पेमाराम 9. जगराम पुत्र पेमाराम 10. मानाराम पुत्र पेमाराम 11. बुधराम पुत्र पेमाराम 12. सुवटी पत्नी पेमाराम, जाति विश्नोई, निवासी जम्भेश्वर नगर, रोहिला पूर्व, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।		1. भाखरराम पुत्र नरसिंगाराम 2. मांगीलाल उर्फ मणीलाल पुत्र नरसिंगाराम 3. सोहनलाल पुत्र नरसिंगाराम 4. भाणी पत्नी नरसिंगाराम 5. बाबूलाल पुत्र पेमाराम, जाति विश्नोई, निवासी जम्भेश्वर नगर, रोहिला पूर्व, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर। 6. शाखा प्रबंधक, आई.सी.आई.सी.आई. शाखा रामजी का गोल, तहसील गुडामालानी, जिला बाड़मेर। 7. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर। 8. तहसीलदार धोरीमन्ना।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 47/2024 बउनवान भाखरराम वगैरह बनाम किसनाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 08.08.2025 के विरूद्व पेश हुई ।

उपस्थितः—

1. वकील श्री केसरराम विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई रेस्पो. संख्या 03 की ओर से।
3. वकील श्री नृसिंग सोलंकी रेस्पो. संख्या 07 की ओर से।
4. वकील श्री कैलाश कुमार रेस्पो. संख्या 06 की ओर से।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
बाड़मेर

—:निर्णयः—

दिनांकः—29.07.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 व 04 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि सरहद मौजा जम्भेश्वर नगर, पटवार हल्का रोहिला पूर्व, तहसील धोरीमन्ना के खसरा संख्या 275/225 रकवा 5.3284 हेक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251— ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पडोस में विप्रार्थीगण/अपीलांट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 224, 226 रकवा क्रमशः 7.9561 हेक्टेयर, 14.6334 हेक्टेयर की भूमि जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 06 व 07 प्रफोर्मा पक्षकार होने से अपीलांट द्वारा उक्त के विरूद्ध अनुतोष नहीं चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 व 04 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि सरहद मौजा जम्भेश्वर नगर, पटवार हल्का रोहिला पूर्व, तहसील धोरीमन्ना के खसरा संख्या 275/225 रकबा 5.3284 हेक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251— ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पडोस में विप्रार्थीगण/अपीलांट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 224, 226 रकबा क्रमशः 7.9561 हेक्टेयर, 14.6334 हेक्टेयर की भूमि जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सम्यक नोटिस तामील करवाये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया गया था। बिना सूचना के ही हस्तगत प्रकरण की मौका रिपोर्ट केवल मात्र कार्यलय में ही बैठकर तैयार की गई। मौका रिपोर्ट हेतु अपीलांट्स को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई एवं ना ही कोई सूचना हेतु तामील रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रश्नगत मौका रिपोर्ट रेस्पों. के साथ राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत करते हुए

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

केवल मात्र रेस्पों./प्रार्थी को ही फायदा पहुंचाने हेतु बिना मौके पर आये ही मौका रिपोर्ट तैयार की गई हैं। उक्त प्रश्नगत मौका रिपोर्ट में रेस्पों. संख्या 1 से 4 का खेत पहले से ही रास्ते से जुड़ा हुआ का स्पष्ट अंकन किया गया है। किन्तु उक्त तथ्यों से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें अपीलांट के कोई सूचना नहीं दी गई एवं ना ही अपीलांट के मौका रिपोर्ट पर कोई हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान हैं। फिर भी उक्त मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रश्नगत मौका रिपोर्ट में रेस्पों. की आराजी पहले से ही रास्ते से जुड़ी हुई एवं वैकल्पिक रास्ता जो बरंग पीला खसरा संख्या 274/225 निकटतम दूरी का होने के बाद भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-ए की मूल मंशा के विपरीत जाकर पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 275 का जब पक्षकारान के मंध्य आपसी सहमति से बंटवारा किया गया जब बंटवारा में यह अंकित किया कि उक्त आराजी में हम दोनों खातेदारों के रास्ता उपलब्ध है रास्ते संबंधी किसी भी प्रकार का कोई विवाद आदि नहीं है। इस प्रकार मूल खसरा संख्या 275 डामर सड़क से जुड़ा हुआ था। सहमति में बंटवारा के समय सभी पक्षकारों को सड़क मार्ग से जोड़ते हुये ही बंटवारा किया जाना था जो सहमति बंटवारे के तथ्यों के अनुसार सभी को रास्ता प्रदान करते हुये ही बंटवारा किया गया था। परन्तु अब रेस्पों. संख्या 1 से 4 की नियत में खोट आने के कारण अपने पूर्व खातेदारों की भूमि से रास्ता नहीं लेकर अपीलांट के खेत से अधिक दूरी का रास्ता विधि विरूद्ध रूप से लिये जाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रस्तावित रास्ते के मौके पर अपीलांट की बाड़ व पुराना टांका, पशु चारे हेतु ओरा आदि बना हुआ है जो प्रथम मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है। उक्तानुसार समस्त कथनों एवं मौका रिपोर्ट से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट्स/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने-जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कहीं अधिक दूरी के हैं। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन रास्ता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के तथ्यों पर बिना गौर किये ही पारित किया गया प्रतीत होता है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के मूल सिद्धान्तों के विपरीत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय की मौका रिपोर्ट दिनांक 08.10.2024 में स्पष्ट अंकन है कि "संलग्न नक्शा में दर्शित बरंग पीला जो डामर सड़क से जुड़ता है विकल्प B प्रस्तावित है जिसमें कोई अवरोध नहीं है।" मौका रिपोर्ट के उक्त कथनों को नजरअंदाज करते हुए वैकल्पिक निकटतम रास्ते की जगह अन्य प्रस्तावित मार्ग का आदेश पारित किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए की मूल मंशा के विपरीत जाकर पारित किया गया प्रतीत होता है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है लेकिन रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 47/2024 बउनवान भाखरराम वगैरह बनाम किसनाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 08.08.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि यथासंभव बाबत् कटाण/चलायमान एवं निकटतम रास्ते संबंधित वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब कर वास्तविक मौके अनुसार ही विधि सम्मत आदेश पारित करे तथा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जाकर, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर गुणावगुण पर आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

29/8/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/8/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर